RBE No. 18 /2016

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-2012/PM1/25

New Delhi, dated 16.02.2016

The General Managers (P)
All Indian Railways & PUs.
(As per standard list)

Sub : Posting of Traffic Apprentices as Station Masters without Aptitude Test .

The Railways are aware that in terms of Board's letter No.E(NG)I-2002/PM1/31 dated 22.08.2003, staff are subjected to Aptitude Test when they are directly recruited or promoted as ASMs, ALPs and Motorman and at the stage of deployment of Drivers on High Speed Trains, running above 110 kmph; however, it has been brought to the notice of the Board that on some of the Railways, Traffic Apprentices, recruited through LDCE and DR quota, are utilized as Section Controllers, Station Masters, Yard Masters and Traffic Inspectors without being subjected to the Aptitude Test. The General Secretary/AIRF has also raised this issue as PNM/AIRF Item on the ground that posting of Traffic Apprentices without Aptitude Test is in violation of safety norms.

2. The matter has since been examined in consultation with AIRF, Zonal Railways and concerned directorates of Railway Board and it has been decided that henceforth Aptitude Test will be mandatory for those Traffic Apprentices who opt for the Station Master category, meaning thereby that those Traffic Apprentices, who do not qualify in the Aptitude Test, may not be posted in SM/ASM category.

Please acknowledge receipt of this letter.
Hindi Version shall follow.

16/2/16

(Kajal Mukherjee)
Joint Director, Estt(N)III
Railway Board.

S/c

D:©ankaj:Pankaj's Office:PM1 Letters 340

आरबीई सं. 18/2016

भरत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

ई(एनजी)I-2012/पीएम1/25 **नई दिल्ली, दिनांक 16.02.2016**

ाप्रबंधक (कार्मिक),
भी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
ानक सूची के अनुसार)

विषय: अभिरूचि परीक्षा के बिना स्टेशन मास्टर के रूप में यातायात प्रशिक्षुओं की तैनाती।

रेलों को इस बात की जानकारी है कि बोर्ड के दिनांक 22.08.2003 के पत्र . ई(एनजी)I-2002/पीएम1/31 के अनुसार कर्मचारियों की जब सीधी भर्ती की जाती है या उनकी हायक स्टेशन मास्टर, सहायक लोको पायलट और मोटरमैन के रूप में पदोन्नति की जाती है ार 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड गाडियों पर ड्राइवरों ो तैनाती के समय उनकी अभिरूचि परीक्षा ली जाती है; परन्तु बोर्ड की जानकारी में लाया गया है क कुछ रेलों पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा और सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से भर्ती कए गए यातायात प्रशिक्षुओं की अभिरूचि परीक्षा लिए बिना उनके सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन ास्टर, यार्ड मास्टर और यातायात निरीक्षक के रूप में लगाया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी/एआईआरएफ ने भी इस मामले को इस आधार पर पीएनएम/एआईआरएफ मद के रूप में ठाया है कि अभिरूचि परीक्षा लिए बिना यातायात प्रशिक्षुओं की तैनाती करना सुरक्षा मानकों का ल्लंघन है।

2. अब एआईआरएफ, क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड के संबंधित निदेशालयों के परामर्श से इस ामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि आगे से उन यातायात प्रशिक्षुओं के लिए अभिरूचि परीक्षा अनिवार्य होगी जो स्टेशन मास्टर कोटि के लिए विकल्प देंगे। इसका अर्थ ह है कि जो यातायात प्रशिक्षु अभिरूचि परीक्षा पास नहीं करेंगे उन्हें स्टेशन मास्टर/सहायक टेशन मास्टर कोटि में तैनात नहीं किया जाएगा।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

S/c

काजल

(काजल मुखर्जी)
संयुक्त निदेशक, स्था (एन)III
रेलवे बोर्ड.